

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) मे प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो
नई दिल्ली, -----

अधिसूचना

संख्या केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13:9 - भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए भारतीय मानकों सम्बन्धी मानक मुहर के डिजाइन निर्धारित कर दिए गए हैं:

अनुसूची

क्रम सं.	मानक मुहर का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 			
2.	IS 			

()
उप/अपर महानिदेशक